BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,

NEW DELHI

O.A. NO. 727 OF 2022

IN THE MATTER OF

Ramroop Rana …….APPLICANT

VERSUS

The State of Bihar & Ors. …. RESPONDENTS

INDEX

Sl no.	Annexure	Particulars	Page no.
1		**Factual and action taken report.**	1-5
2.	**Annexure-1.**	A copy of the report of the District Magistrate, Banka, dated 07.03.2023; Copy of letter no. 893 dated 07.03.2023 and a Copy of Letter no. 894, dated 07.03.2023.	6-9

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 727 OF 2022

IN THE MATTER OF

Ramroop Rana ....**APPLICANT**

VERSUS

The State of Bihar & Ors. .... **RESPONDENTS**

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED VIDE ORDER DATED 18.11.2022 PASSED IN O.A. NO. 727 OF 2022.

I, S. Chandrasekar, aged about 44 years, Son of Mr. S. Subramani, residing at B-202, Amarkunj Apartment, Vivekanand Marg-Patna-800013, do hereby solemnly affirm and state as follows: -

1. That I am posted as Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board, Patna and as such I am well aware of the facts and circumstances of the present matter. I am competent and duly authorized to swear the present affidavit.

2. That the instant matter has been registered as an Original Application on a letter petition filed by Sri Ramroop Rana resident of Banka District, Bihar, before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, alleging therein

that land mafia are illegally encroaching river Odhani in Banka by filling with earth and changing the status thereof.

3. That the instant matter was heard on 18.11.2022 when the Hon'ble Tribunal was pleased to constitute a Joint Committee comprising of representative from Regional Office, MOEF&CC, Ranchi, Jharkhand, Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Bihar and District Magistrate, Banka, Bihar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and submit its report. The State PCB was made nodal agency for coordination and compliance.

4. That pursuant to passing of the order a meeting of the joint committee was convened on 20.12.2022 and site visit was undertaken on 28.12.2022. Further, based on the findings of the said inspection a report of the committee was filed by BSPCB through email.

5. That the State Board vide letter no. 141, dated 24.01.2023, requested the District Magistrate, Banka, to submit a final report in the matter. Also, a meeting of the committee was convened on 06.03.2023 to ascertain the final report in the instant case.

6. That pursuant to the meeting dated 06.03.2023 the District Magistrate, Banka, has submitted a final report vide his letter no. 895, dated 07.03.2023, in which following has been stated:-

(i) Odhani river flows from South to North direction and it is an Ephemeral River;

(ii) Towards left of Odhani river Masuriya Village is situated and in upstream of Masuriya village Rajasva village is situated and in Ward No. 12 of Rajasva Village at Khata No. 420, Khesra No. 139 and 140 admeasuring 16.50 Ha is registered as Odhani River and in Ward No. 11, Khesra No. 662 is registered as Dam of river;

(iii) In Khesra no. 139 the bank of Odhani river situate. The bank of the odhani river is about 1-3 meter above from the bed of the said river. At the bank of the said river a Kaccha Rasta (road) was found. On measurement by Ameen it was found that in Khesra No. 139 for about 601 meter in length and 4 meter in width has been encroached by constructing a road;

(iv) In course of inspection One Sri Abhishek Kumar, Advocate, informed that the encroachment in the Odhani river has been done by Keshav Jha, Kailash Chandra Jha both Son of Narayan Jha; Amresh Jha Son of Arun Chandra Jha; Ravi Kumar Sinha Son of Avinash Chandra Sinha and they were assisted by Sri Anupam Garg Son of Shyam Sundar Agarwal & Sri Panchu Jha Son of Late Janardhan Jha. The Petitioner did not made himself available at the time of inspection;

(iv) The villagers present at the time of inspection informed that villagers of Vidayadih; Churaelli and Hasiya-Bahera use the Dam and Banks for commuting. Also, the Executive Engineer, Rural Works Department, Govt. of Bihar has carried Habitation Survey of Vidayadih; Churaelli; Hasiya-Bahera and Nimadih village for providing a Link Road to Banka-Belhar Main Road;

(v) The District Magistrate, Banka, has vide his letter no. 893, dated 07.03.2023 issued Show-Cause notice to Narayan Jha and 9 others for encroaching the Odhani river and has further stopped registry of any land in the said area and has directed to remove encroachment from the banks of river Odhani;

(vi) The District Magistrate, Banka, has vide his letter no. 894, dated 07.03.2023 issued Show-Cause notice to Executive Engineer, Rural Works Department, Govt. of Bihar, to show-cause as under whose order the said work has been done.

A copy of the report of the District Magistrate, Banka, dated 07.03.2023; Copy of letter no. 893 dated 07.03.2023 and a Copy of Letter no. 894, dated 07.03.2023 is annexed and marked as Annexure-1 Colly.

7. That from above report it is evident that a road has been constructed inside the bank of river Odhani to facilitate approach to four to five plots located immediately outside the river bank. Also, the allegation made in the Original Application about encroachment in river Odhani is true.

8. That remedial steps has been taken by the District Magistrate, Banka, and he has started proceedings against the encroachers and has also issued show-cause notice to the Executive Engineer, Rural Works Department, to explain as to how road has been constructed inside the bank of the river.

9. That I have read the contents of the report and have understood the same.

DEPONENT

(S. CHANDRASEKAR)

समाहरणालय बाँका
(राजस्व शाखा)

अंशुल कुमार, भा0प्र0से0
समाहर्त्ता, बाँका

पत्रांक– 895 / रा0,

सेवा में,

सदस्य सचिव
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
बिहार, पटना।

बांका, दिनांक– 07/03/2023

विषय– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच दिल्ली में दायर O.A No. 727/2022 Ramroop Rana Vs. State of Bihar & Ors. के मामले में दिनांक–18.11.2022 को पारित आदेश का अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग– भवदीय पत्रांक–141, दिनांक–24.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विषयांकित मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेच दिल्ली द्वारा दिनांक–18.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित क्षेत्र के नदी तट पर अतिक्रमण से संबंधित मामले की दिनांक–27.01.2023 को कार्यपालक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी एवं अंचल अधिकारी, बांका द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्य निम्नवत हैः–

1. ओढ़नी नदी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती है। यह एक बरसाती नदी है।
2. ओढ़नी नदी के बाँये भाग मसुरिया ग्राम से अपस्ट्रीम में राजस्व ग्राम वार्ड नं0–12, खाता सं0–420, खेसरा सं0–139 एवं 140, कुल रकवा–16.50 हे0 किस्म नदी दर्ज है एवं खाता–420, खेसरा सं0–143, 148 किस्म बाँध दर्ज है तथा वार्ड नं0–11 में खेसरा सं0–662 किस्म बाँध दर्ज है।
3. नदी के खेसरा सं0–139 में नदी का Edge (किनारा) है, जो नदी के बेड से 1 मी0 से 3 मी0 ऊँचा है, जिस पर कच्चा रास्ता पाया गया। उक्त के आलोक में दिनांक–28.12.2022 एवं 29.12.2022 को अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में अंचल अमीन, बाँका के द्वारा मापी की गई। मापी उपरान्त पाया गया कि नदी का खेसरा–139 में 601 मी0 लम्बा, लगभग 4 मी0 चौड़ा बनी कच्ची रास्ता पर 01 फीट से 02 फीट मिट्टी डाला गया है।
4. स्थल निरीक्षण के क्रम में स्थल पर उपस्थित अभिषेक कुमार, अधिवक्ता, विजयनगर, बाँका द्वारा बताया गया कि नदी के Edge से सटे भाग पर जमाबंदी रैयत नारायण झा के पुत्र केशव झा, कैलाश चन्द्र झा, अमरेश झा, पिता–अरूण चन्द्र झा एवं रवि कुमार सिन्हा, पिता–अविनाश चन्द्र सिन्हा के द्वारा अपनी जमीन की खरीद–बिक्री की जा रही है। उनके द्वारा नदी के Edge पर मिट्टी डाली गई है एवं उक्त कार्य में श्री अनुपम गर्ग, पे0–श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल, साकिन–करहरिया रोड, बाँका एवं पंचु झा, पे0–स्व0 जनार्दन झा, साकिन–विजयनगर, बाँका के द्वारा सहयोग किया गया है।
5. **परिवादी रामरूप राणा, शिव मंदिर चौक, विजयनगर, बाँका से भी उक्त के संबंध में उनका पक्ष जानने हेतु सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उक्त पते पर श्री रामरूप राणा नाम के कोई व्यक्ति नहीं पाए गए।**
6. स्थल पर जाँच के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि तटबंध तथा नदी के Edge से होकर विदायडीह, चुड़ैली एवं हसिया–बहेड़ा के लोग आवागमन पूर्व से करते आ रहे हैं। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग–01, बाँका के द्वारा विदायडीह, चुड़ैली, हसिया–बहेड़ा एवं नीमाडीह के वासिन्दों को मसूरिया ग्राम में पुल के पास बाँका–बेलहर मुख्य सड़क तक सम्पर्क पथ उपलब्ध कराने के लिए Habitation Survey भी कराई गई है।
7. खनिज विकास पदाधिकारी, बांका के पत्रांक–177 दिनांक–03.02.2023 द्वारा ओढ़नी नदी से संबंधित स्थल का निरीक्षण खान निरीक्षण बांका एवं खनिज विकास पदाधिकारी, बांका द्वारा

दिनांक–21.01.2023 को की गई है। स्थल निरीक्षण एवं अभिलेखीय प्रमाणों से निम्न तथ्य पाये गये :–

(क) ओढ़नी नदी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती है। यह एक बरसाती नदी है।

(ख) प्रश्नगत स्थल, नदी का Edge (किनारा)/तटबंध है, जो नदी के बेड से 1 मी0 से 3 मी0 ऊँचा है, जिसपर कच्चा रास्ता पाया गया। स्थल जॉच के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि तटबंध तथा नदी के Edge से होकर विदायडीह, चुड़ैली एवं हसिया–बहेड़ा के लोग आवागमन पूर्व से करते आ रहे है। नदी का तटबंध लगभग 600 मी0 लम्बा, 4 मी0 चौड़ा है। उक्त तटबंध पर बनी कच्ची रास्ता पर लगभग 1.2 फीट मिट्टी अन्यत्र स्थान से लाकर डाला गया है एवं उक्त पथ को Motorable बनाया गया है।

(ग) नदी का Edge (किनारा) है।

संयुक्त स्थल जॉच प्रतिवेदन में नदी के Edge से सटे जिस भूमि पर निशानदेही पाया गया एवं खरीद/बिक्री की जा रही है। राजस्व अभिलेख के अनुसार मौजा वार्ड नं0–12 में अंकित जमाबंदी रैयतों एवं सहयोगकर्त्ता से इस कार्यालय के ज्ञापांक–893/रा0, दिनांक–07.03.2023 से कारण पृच्छा की मांग करते हुए जिला अवर निबंधक, बाँका को संयुक्त स्थल जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रश्नगत मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से आदेश प्राप्त होने तक प्रश्नगत ओढ़नी नदी/नदी के Edge से सटे भाग से संबंधित खाता/खेसरा की जमीन की खरीद/बिक्री हेतु निबंधन की कार्रवाई पर रोक लगाने हेतु निदेशित किया गया है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल–01 बाँका को भी कार्यालय पत्रांक–894/रा0, दिनांक–07.03.2023 से ओढ़नी नदी/Edge पर सड़क निर्माण के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाँका को प्रश्नगत ओढ़नी नदी/Edge एवं सटे भू–भाग पर किसी प्रकार की अतिक्रमण पाये जाने पर तत्काल अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई करने एवं कार्यपालक अभियन्ता, बाढ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी को प्रश्नगत नदी क्षेत्र में भविष्य मे अतिक्रमण नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

समाहर्त्ता
बाँका
7/3/23

समाहरणालय बाँका

(राजस्व शाखा)

अंशुल कुमार, भा०प्र०से०
समाहर्त्ता, बाँका

पत्रांक– 894 / रा0,

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल–01

बाँका, दिनांक–07/03/2023

विषय :– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच दिल्ली में दायर OA No. 727/2022 Ramroop Rana Vs. State of Bihar & Ors. के मामले में दिनांक–18.11.2022 को पारित आदेश के संबंध में।**

प्रसंग :– सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद का पत्रांक–141 दिनांक–24.01. 2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले में संदर्भित क्षेत्र के नदी तट पर कितना क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है, से संबंधित विस्तृत एवं अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध कराने का दिए गए निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बौंसी एवं अंचल अधिकारी, बाँका से स्थल जाँचोपरान्त संयुक्त प्रतिवेदन की मांग की गई। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बाँका के पत्रांक–262/रा0, दिनांक–28.01. 2023 से प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि नदी के खेसरा सं0–139 में नदी का Edge (किनारा) है, जो नदी के बेड से एक मीटर से तीन मीटर ऊँचा है, जिस पर कच्चा रास्ता पाया गया। मापी उपरांत पाया गया कि खेसरा–139 में 601 मीटर लम्बा, लगभग 4 मीटर चौड़ा बनी कच्ची रास्ता पर एक फीट से दो फीट मिट्टी डाला गया है। स्थल पर जाँच के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि तटबंध तथा नदी के Edge से होकर विदायडीह, चुड़ैली एवं हसिया–बहेड़ा के लोग आवामगन पूर्व से करते आ रहे हैं। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग–01, बाँका के द्वारा बिदायडीह, चुड़ैली, हसिया–बहेड़ा एवं नीमाडीह के वासिन्दों को मसूरिया ग्राम में पुल के पास बाँका–बेलहर मुख्य सड़क तक सम्पर्क पथ उपलब्ध कराने के लिए Habitation Survey भी कराई गई है।

उपर्युक्त आलोक में निदेश दिया जाता है कि ओढ़नी नदी/Edge पर सड़क निर्माण कार्य की कार्रवाई किस सक्षम प्राधिकार की अनुमति से प्रारंभ की गई है, के संदर्भ में 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना कारण पृच्छा समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु विभाग को प्रतिवेदित की जाय ?

विश्वासभाजन

7.3.23

समाहर्त्ता
बाँका

समाहरणालय बाँका
(राजस्व शाखा)

अंशुल कुमार, भा०प्र०से०
समाहर्त्ता, बाँका

ज्ञापांक–893/रा०,

प्रेषित,

1. नारायण झा, पेसर–घनश्याम झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–195)
2. अशोक कु0 झा वगैरह, पिता–अरूण चन्द्र झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–29)
3. बुधनी देवी, पति–हड़बु राउत, वार्ड नं0–11, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–408)
4. योगा देवी, पति–लक्ष्मीकान्त झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–292)
5. रंजन कु0 झा, पिता–अरूण चन्द्र झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–36)
6. आदित्य कु0 झा, पिता–अरूण कु0 झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–39)
7. अमरेश कु0 झा, पिता–अरूण चन्द्र झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–38)
8. कैलाश चन्द्र झा, पिता–अरूण चन्द्र झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–35)
9. श्री अनुपम गर्ग, पे0–श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल, साकिन–करहरिया रोड, बाँका
10. पंचु झा, पे0–स्व0 जनार्दन झा, साकिन–विजयनगर, बाँका

बाँका, दिनांक–07/03/2023

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच दिल्ली में दायर **OA No. 727/2022 Ramroop Rana Vs. State of Bihar & Ors.** के मामले में दिनांक–18.11.2022 को **पारित आदेश के संबंध में।**

प्रसंग :– सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद का पत्रांक–141 दिनांक–24.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले में संदर्भित क्षेत्र के नदी तट पर कितना क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है, से संबंधित विस्तृत एवं अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध कराने का दिए गए निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बौंसी एवं अंचल अधिकारी, बाँका से स्थल जाँचोपरान्त प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि नदी के खेसरा सं0–139 में नदी का Edge (किनारा) है, जो नदी के बेड से एक मीटर से तीन मीटर ऊँचा है, जिस पर कच्चा रास्ता पाया गया। मापी उपरांत पाया गया कि खेसरा–139 में 601 मीटर लम्बा, लगभग 4 मीटर चौड़ा बनी कच्ची रास्ता पर एक फीट से दो फीट मिट्टी डाला गया है। स्थल पर जाँच के क्रम में पाया गया कि नदी के Edge से सटे भाग पर जमाबंदी रैयत नारायण झा के पुत्र केशव झा, कैलाश चन्द्र झा, अमरेश झा, पिता–अरूण चन्द्र झा एवं रविश कुमार सिन्हा, पिता–अविनाश चन्द्र सिन्हा के द्वारा अपनी जमीन की खरीद–बिक्री की जा रही है। उनके द्वारा Edge पर मिट्टी डाली गई है एवं उक्त कार्य में श्री अनुपम गर्ग एवं पंचु झा द्वारा सहयोग किया गया है।

उपर्युक्त आलोक में निदेश दिया जाता है कि ओढ़नी नदी/Edge पर मिट्टी डालकर कच्ची सड़क का निर्माण कार्य की कार्रवाई बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति से प्रारंभ की गई है, के संदर्भ सात दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना कारण पृच्छा समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध संगत अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाय ? तत्काल प्रश्नगत जमाबन्दी के क्रय–विक्रय पर रोक लगायी जाती है। साथ ही प्रश्नगत चिन्हित सड़क की भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने का निदेश कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण, बौंसी को दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अतिक्रमण ओढ़नी नदी में नहीं हो सके।

विश्वासभाजन

समाहर्त्ता
बाँका
7.3.23